2/6/8/23 ①

2023/133

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289
ता. पेकी स्टेज

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
212 रा. टि. एक्ट	120/23	25/5/23	Affe 26/8/23	

अनवान

श्री रितुराज/प्रसेनजीत वादी सुखवीर/ भंवरलाल

निवासी बिजौलिया विवादी कोटगढ़, बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — गिरधारी लाल भार्गव

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाम

श्री .... श्री ....

(2)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

रितुराज पुत्र प्रसेनजीत पाण्डे नि0 बिजौलियां **बनाम** सुधीर कुमार पुत्र भंवरलाल कोतवाल नि0 बिजौलियां वगै0

प्रकरण संख्या 120/2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२5/8/ 2023	प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता **श्री गिरधारीलाल आचार्य ने** अन्तर्गत **धारा 212 रा0टी0एक्ट** के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की मौजा ग्राम फतेहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0न0 416/409 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, ख0न0 422/410 रकबा 0.1538 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित व संयुक्त कब्जेधारी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व विपक्षी संख्या एक का 2/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख हैं। इसलिए उक्तानुसार मौजा ग्राम फतेहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0न0 416/409 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, ख0न0 422/410 रकबा 0. 1538 हैक्टेयर भूमि को अन्तरण व कब्जा देने से रोकने के लिए विपक्षी संख्या एक को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे व विपक्षी संख्या 2 को राजस्व रेकॉर्ड ही यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं मनन किया। जिससे ज्ञात होता हैं कि मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर मौजा ग्राम फतेहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0न0 416/409 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, ख0न0 422/410 रकबा 0.1538 हैक्टेयर भूमि को अन्तरण व कब्जा देने से रोकने के लिए विपक्षी संख्या एक को **अस्थायी निषेधाज्ञा** से पाबन्द किया जाता हैं व विपक्षी संख्या 2 को राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता हैं प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक २6/08/2023 को पेश हों। (सीमा तिवाड़ी) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि भीलवाड़ा कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	
२6/8/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने मूल प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज के लिए निवेदन किया, जिसे स्वीकार किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

Scanned with OKEN Scanner